निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 02.02.2017 को जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन कार्य की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग) की कार्यवाही।

मुख्यालय से मुकुल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–सहायक निदेशक, संजय कुमार, वैज्ञानिक डी0, एन0आई0सी0 एवं विरेन्द्र कुमार, विशेष पदाधिकारी की उपस्थिति में बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

1. राजस्व ग्रामों की सूची/संख्या अद्यतन

1.1 गौजा अद्यतन :–

बैठक मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा राज्य में एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित्त ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंचलवार राजस्व ग्रामों की सूची/संख्या अद्यतन करने का कार्य की समीक्षा की गयी।

बैठक में जानकारी उपलब्ध कराया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्मित्त पोर्टल पर बिहार राज्य के राजस्व ग्रामों की संख्या एवं एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित्त सॉफ्टवेयर के अनुसार अंचल कार्यालय द्वारा अद्यतन किये गये राजस्व ग्रामों में भिन्नता है। उक्त भिन्नता को दूर करने की आवश्यकता है।

इस संबंध में बताया गया कि अंचलाधिकारी स्तर पर ही भारत सरकार द्वारा निर्मित्त पोर्टल पर संधारित राजस्व ग्रामों की सूची का सत्यापन किया जाना है।

1.2 इसी क्रम में यह भी जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग में संधारित राजस्व ग्राम एवं अंचल द्वारा अद्यतन राजस्व ग्राम के सूची/संख्या से मिलान किया गया है। मिलान के क्रम में कतिपय राजस्व ग्रामों के मानचित्र बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग में संधारित नहीं है। जिलों को मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु अलग से राजरव ग्रामों की सूची प्रेषित की जाएगी।

जिलों को निदेश दिया गया कि राजस्व ग्राम के मिसिंग मानचित्र की प्रति जिला अभिलेखागार/अंचल कार्यालय या अन्य श्रोतो यथा रैयत से उपलब्ध करायी जाए।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

1.3 पूर्व की विभिन्न बैठकों में जिलों को वैसे राजस्व ग्राम जो एक से अधिक पंचायतों में है कि सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। विमर्श के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि संबंधित राजस्व ग्राम के संबंधित पंचायत क्या उसी राजस्व ग्राम तक सीमित है अन्यथा उक्त पंचायत में किसी अन्य राजस्व ग्राम को भी शामिल करता है कि नहीं, उक्त जानकारी निदेशालय को उपलब्ध होना आवश्यक है।

इस क्रम में सभी जिलों को पुनः निदेश दिया गया कि "**वैसे राजस्व ग्राम जो एक से अधिक पंचायत में है**" के संबंध में यह सूचना उपलब्ध करायी जाए कि संबंधित पंचायत उसी राजस्व ग्राम तक सीमित है अथवा अन्य राजस्व ग्राम को भी शामिल करता है। उपरोक्त के संबंध में नजरी नक्शा के साथ विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

बैठक में पुनः निदेश दिया गया कि यदि किसी जिला में ऐसा मामला प्रकाश में नहीं हैं तो इस आशय का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए कि इस जिला में वैसे राजस्व गाँव नहीं है जो एक से अधिक पंचायत में है।

अनुपालन :— सभी अपर समाहर्ता।

1.4 पूर्व के बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलों को विभागीय आदेश के आलोक में पंचायतों की संख्या के अनुसार हल्कों की संख्या करते हुए कर्मचारी के कार्य प्रभार अलग करने का निदेश दिया गया था। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि लखीसराय, शिवहर, जमुई, सारण एवं कैमूर जिलों द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में पंचायतों के अनुसार हल्कों को अलग कर दिये गये है। इन जिलों को उक्त निदेश के अनुपालन से संबंधित सूचना निश्चित रूप से निदेशालय को प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी जिलों को विभागीय निदेश के अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :— सभी अपर समाहर्ता।

2 **पायलट अंचल का चयन :—**
बैठक में जिलों द्वारा अपने जिला अंतर्गत निम्न प्रकार पायलट अंचल का चयन किया गया :—

क्र0सं0	प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	चयनित पायलट अंचल का नाम
1.	पटना	पटना	फुलवारीशरीफ
2.		नालंदा	कतरीसराय
3.		बक्सर	केसठ
4.		रोहतास	रोहतास
5.		कैमुर	नुआव
6.		भोजपुर (आरा)	गरहनी
7.	भागलपुर	भागलपुर	वीहपुर
8.		बांका	रजौन
9.	मुंगेर	बेगूसराय	बेगूसराय सदर
10.		लखीसराय	पीपरीया
11.		खगड़िया	अलौली
12.		मुंगेर	असरगंज
13.		जमुई	बरहेट
14.		शेखपुरा	घाटकुसुम्भा
15.	मगध	गया	डोभी
16.		जहानाबाद	हुलासगज
17.		अरबल	
18.		औरंगाबाद	
19.		नवादा	

क्र0सं0	प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	चयनित पायलट अंचल का नाम
20.	तिरहुत	शिवहर	डुमरी
21.		सीतामढ़ी	
22.		मुजफ्फरपुर	मुरौल
23.		पू0 चम्पारण	
24.		प0 चम्पारण	पीपरासी
25.		वैशाली	पटेढ़ी बेलसर
26.	पूर्णियॉ	पूर्णियॉ	श्री नगर
27.		कटिहार	हसनगंज
28.		किशनगंज	
29.		अररिया	सिकटी
30.	सारण	गोपालगंज	थावे
31.		सिवान	बसन्तपुर
32.		सारण	मकेर
33.	कोशी	सुपौल	प्रतापगंज
34.		सहरसा	नौहट्टा
35.		मधेपुरा	
36.	दरभंगा	दरभंगा	मनीगाछी
37.		मधुबनी	राजनगर, जयनगर
38.		समस्तीपुर	खानपुर

सात जिला यथा अरबल, औरंगाबाद, सितामढ़ी, किशनगंज, मधेपुरा, पू0 चम्पारण एवं नवादा द्वारा पायलट अंचल के चयन को स्पष्ट नहीं किया गया है। इन जिलों को पायलट चयन करते हुए प्रतिवदेन शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही पायलट अंचल में जमाबदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जाय ताकि अंचल को पूर्ण पायलट डिजिटल अंचल घोषित करते हुए ऑनलाईन नागरिक सुविधाएँ प्रारंभ की जा सके।

अनुपालन :— सभी अपर समाहर्त्ता।

3. **जमाबंदी पंजी का कम्प्यूटरीकरण :—**

3.1 अधोहस्ताक्षरी द्वारा जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन कार्य की जिलावार समीक्षा की गयी। निदेश दिया गया कि पायलट राजस्व ग्राम में चयनित सभी जमाबंदी का इन्ट्री निश्चित रूप से करा दिया जाए। समीक्षा के क्रम में जिलों को बताया गया कि पायलट राजस्व ग्राम के जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन कार्य के चरण को समाप्त कर अब पायलट अंचल पर कार्य किया जा रहा है, तथा अगली बैठक से पायलट अंचलों का मुख्य रूप से समीक्षा की जाएगी।

3.2 पूर्व के बैठक एवं निदेशालय के पत्र द्वारा एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से पायलट अंचल के सभी राजस्व ग्रामों के सभी एम0आई0एस0 का इन्ट्री करा लिया जाए। इसके संबंध में एन0आई0सी0 के वैज्ञानिक संजय कुमार द्वारा उक्त एम0आई0एस0 इन्ट्री करने के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराया गया।

उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से एम0आई0एस0 के रूप में राजस्व ग्रामों [illegible] जमाबंदी, कुल खाता, कुल खेसरा, कुल रकवा एवं कुल लगान का इन्ट्री किया जाना है। [illegible] कार्य को अंचल कार्यालय में प्रतिनियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर से एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से करा लिया जाए।

इसी क्रम में जिलों द्वारा मांगी गई जानकारी के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा लगान के कॉलम में संबंधित राजस्व ग्राम के कुल मूल लगान अंकित करने का निदेश दिया गया।

3.3 बैठक में कटिहार जिला द्वारा यह जानकारी उपलब्ध कराया गया कि [illegible] अंचल के छोहार मिल्क राजस्व ग्राम में सरकारी भूमि का भी जमाबंदी कायम किया गया है। इस क्रम में भागलपुर जिला से भी उक्त जानकारी की पुष्टि की गई कि उनके जिला में भी सरकारी भूमि की जमाबंदी कायम किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में जिलों को निदेश दिया गया कि यदि उनके जिला में [illegible] तरह का मामला है तो जमाबंदी की छायाप्रति सहित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

3.4 प0 चम्पारण द्वारा जानकारी उपलब्ध कराया गयी कि एक ही जमाबंदी पंजी में एक से अधिक राजस्व ग्रामों का जमाबंदी दर्ज किया गया है। इसकी भी सूचना लिखित रूप से विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

3.5 कतिपय जिलों द्वारा यह जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि तौजी नं0 अलग [illegible] के कारण एक ही जमाबंदी पंजी में एक ही राजस्व ग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी नं0 पुनः अंकित है। इसके संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उपरोक्त के आलोक में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :- सभी अपर समाहर्त्ता।

4. राजस्व कर्मचारियों का विवरण :–

4.1 जिलों को निदेश दिया गया कि एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित योजना [illegible] सॉफ्टवेयर में अंचल कार्यालयों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों का डाटा बेस संधारित करने की व्यवस्था की गई है।

अंचलाधिकारी के ID से कर्मचारियों के Detail प्रविष्ट करने की प्रक्रिया पर एन0आई0सी0 द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध करायी गयी। चयनित पायलट अंचलों में कार्यरत कर्मचारियों का डाटा बेस तत्काल अंचलाधिकारी के LOGIN ID के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से करा लेना का निदेश दिया गया।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

5. भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना :–

राज्य में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत अधिकांश जिलों द्वारा कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कतिपय जिलों द्वारा आंशिक रूप से ही [illegible] किया गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त योजना के [illegible] जिलों द्वारा किये गये कम्प्यूटराईजेशन कार्य का सत्यापन कराना आवश्यक है।

इस हेतु आवश्यक है कि जिलों में संधारित कम्प्यूटराईज्ड डाटा का मिलान कैडेस्ट्रल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी पंजी, चकबंदी खतियान एवं जिलों द्वारा निर्मित्त चालू खतियान से कर लिया जाए। पायलट राजस्व ग्राम के सभी मूल दस्तावेजों से किये गये भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण डाटा से मिलान कराया जाए तथा प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाए।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

6. **विभागीय आदेश का अनुपालन :–**

निदेशालय का पत्रांक–59 दिनांक–17.01.2017 द्वारा जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन कार्य में उत्पन्न होने वाले नाकारात्मक पहलुओं को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जिसके आलोक में कतिपय जिलों द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिन जिलों से प्रतिवेदन अनुपलब्ध है उन जिलों को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

7. पूर्व के विभिन्न समीक्षात्मकों बैठकों में निदेश दिया गया था कि अपने जिला में अंचलवार कट्ठा एवं विगहा के तुलनात्मक नाप की विवरणी Acre/Decimal में करते हुए इसकी प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसके संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके, जो अबतक अप्राप्त है। जिलों को पुनः निदेश दिया गया कि उक्त के संबंध में प्रतिवेदन शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता (कटिहार को छोड़ कर)।

उपरोक्त कार्यो की समीक्षा हेतु अगली बैठक की दिनांक–16.02.2017 को की जायगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

8/2/17

(मिथिलेश मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–जमाबंदी (कम्प्यू0)–330/2016...199... **पटना, दिनांक :–**08/02/2017

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/17
निदेशक

ज्ञापांक :– 17– जमाबंदी (कम्प्यू0)–330/2016...199... **पटना, दिनांक :–**08/02/2017

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/17
निदेशक

ज्ञापांक :– 17– जमाबंदी (कम्प्यू0)–330/2016...199... **पटना, दिनांक :–**08/02/2017

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना/श्री आशीष रंजन, प्रोग्रामर, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/17
निदेशक

ज्ञापांक :— 17— जमाबंदी (कम्प्यू0)—330 / 2016 199 **पटना, दिनांक** : 08/02/2017

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

8/2/17
निदेशक

ज्ञापांक :— 17— जमाबंदी (कम्प्यू0)—330 / 2016 199 **पटना, दिनांक** : 08/02/2017

प्रतिलिपि ✓ विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

8/2/17
निदेशक

14